N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** चंद्रपुर **P.S.(ठाणे):** राम नगर **Year (वर्ष):** 2019

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 1134 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 08/09/2019 00:39 बजे

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ सुधारीत 2018	7

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**

1. **Day(दिवस):** शनिवार

Date From (दिनांक पासून): 07/09/2019

Date To (दिनांक पर्यंत): 07/09/2019

Time Period (कालावधी): पहर 6

Time From (वेळेपासून): 17:40 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**

Date (दिनांक): 07/09/2019 **Time (वेळ):** 23:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ**

Entry No. (नोंद क्र.): 004 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 08/09/2019 00:39 बजे

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** Oral

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**

1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):** पश्चिम, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** नागपूर रोड ,दर्गा जवळ , चांदा कल्ब ग्राउड चंद्रपूर,चंद्रपूर

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):**

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. **Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):**

(a) **Name (नाव):** मोहम्मद सरफोरज शागीर शहा

(b) **Father's Name (वडील चे नाव) :** शागीर शहा

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 2001 (d) **Nationality (राष्ट्रीयत्व):** भारत

(e) **UID No. (यु.आय.डी. क्र.):**

(f) **Passport No.(पारपत्र क्र.):** **Date of Issue (दिल्याची तारीख):**

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**
ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address (पत्ता):**

Scanned by CamScanner

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	रयतवारी कॉलरी ,चंद्रपूर,चंद्रपूर,राम नगर,चंद्रपुर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	रयतवारी कॉलरी ,चंद्रपूर,चंद्रपूर,राम नगर,चंद्रपुर,महाराष्ट्र,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल नं.): 91-9373392701

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	गणेश श्रीराम जोगदंड			1. हमू पडोळी चंद्रपूर,चंद्रपूर,राम नगर, चंद्रपुर,महाराष्ट्र,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू. मध्ये))

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ. क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी. बी.क्र.)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

दिनांक 07/09/2019 मै,मोहम्मद सरफरोज शगीर शहा, उमर 18 वर्ष, धंदा मोल मजुरी पत्ता. रय्यतवारी कॉलरी, चंद्रपूर फिर्याद देता हुँ की, मैं मेरे परीवारके साथ उपरोक्त पतेपर रहता हुँ और मजुरी का काम करता हुँ कही दिनो पहीले मै वणी जि यवतमाल से मेरी बाईकसे शराब लाता था और बेचता था अभि फिलहाल मै पीओपीका काम कर रहा हुँ मै अभी कभी कभी बाईकसे शराब लाता हुँ दिनांक 04/09/2019 दोपहर 1.00 बजे के करीब पडोली चैक में मुझे पोलीस वाले गणेष भाऊ मिले और उन्हाने मुझे कहा की तुझे शराब लाने का और बेचने का धंदा अगर करणा होगा तो मेरे लिऐ हर महिने के 10000/-रू देने होगे महिने के 10000/-रू दिऐ तो मै तुम्हे नही पकडुंगा और तुम्हारा धंदा चलेने दुंगा तुम्हने अगर महिने के 10000/-रू नही दिऐ तो तुमको दारू के केस मे कैसे भी करके फसाउंगा ऐसा कहा । दिनांक 05/09/2019 दोपर 12.00 से 1.30 बजे के बिच मे मुझे गणेष भाऊ का मोबाईल न 7774060130 से मेरे मोबाईल न. 9373392701 पर कॉल आया था गणेष भाऊ मुझे बारबार फोन करके परेशान कर रहे है तु मुझे कल दिनांक 06/09/2019 को 10000/-रू लाके दे और आने के पहीले मुझे कॉल करके आना ऐसा पोलीस गणेष भाऊ ने मुझे कहा है उस पर मैने गणेष भाऊ को मजबुर होकर कल आकर मीलता हु और आपसे बात करता हु ऐसा कहकर फोन रख दिया। मुझे षराब लाने का और बेचने का धंदा सुरू रखने के लिऐ पोलीस स्टेषन पडोली के डि.बी स्कॉड मै काम करणे वाले पोलीस गणेश भाऊ को हर महिने के 10,000/-रुपये रीश्वत देने की मेरी बिल्कुल ईच्छा नही है और पोलीस गणेष भाऊ और मुझमें कोई भी पुर्व पैसे का लेनदेन नही है और कोई दुष्मनी नही है मुझे रिश्वत मागणेवाले पोलीस स्टेषन पडोली के डि.बी स्कॉड मै काम करणे वाले गणेष भाऊ के खिलाफ कारवाई करने के लिऐ मै अनुरोध किया मेरे अनुरोध के मुताबिक दिनांक 06/09/2019 लिखी गयी। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. निलेष सुरडकर साहेबने ऐसीबी के ऑफिस मे हाजीर दोन्हो पंच और स्टॉफ की, हमारी आपस मे पहचान करके दि गयी. उसके बाद मैने बताये मुताबिक रीपोर्ट लिखी गई पंच ने मुझे पढकर दिखाई उसके बाद उस रीपोर्टपर मै, पोलीस निरीक्षक श्री. निलेष सुरडकर साहेब और दोन्हो पंचोने दस्तखत की। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. निलेष सुरडकर साहेब इन्होने दिये हुवे सुचना के अनुसार नापोकॉ. संतोश येलपूलवार इन्होने व्हॉईस रेकॉर्डर किस प्रकारसे काम करता है यह विस्तार से समजाया। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. निलेष सुरडकर साहेब इन्होने पंचै के सामने रिष्वत मांग की सत्यापण कार्यवाही करणे के लिये डिजीटल व्हाईस रेकॉर्डरद्वारा रेकॉर्ड करेंगे ऐसा बताया। और उसके बाद सत्यापण कार्यवाही के बिच मे और सापळा कारवाईके बिच मे लेने वाली खबरदारी के बारे मे सुचना दि गई। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. निलेष सुरडकर साहेब ईन्होने मेरेसे सापळा कारवाई के लिये ईस्तेमाल के लिये रिष्वत रक्कम रू. 10,000/- (रू.500/- दरकी 20 चलनी नोटं) लिये.। उस समय नोटोके नबंर लिख लिये। उसके बाद उन नोटोको अँथ्रसिन पावडर लगाने वाले है ऐसा बोलकर अँथ्रसिन पावडरके गुणधर्म और प्रयोग करके बताये।. उसके बाद रिष्वत रक्कम को अँथ्रसिन पावडर लगाई।. उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री.निलेष सुरडकर साहेब ईन्होने पंचै के सामने गैरअर्जदारा ईनके तरफ सत्यापण कार्यवाही करणे के लिये

Scanned by CamScanner

रिष्वत मागके बारे मे सत्यापण करणेवाले है ऐसा बताया। उनके कहनेपर नापोकाँ. सतोश येलपुलवार ईन्होने व्हाँईस रेकार्डर सुरू करके व्हाँईस रेकाँर्डरपर पंच क्र. 01 ने उनकी आवाजमे सत्यापण कार्यवाही करणे के लिये जाणेके बारे मे प्रमाणपत्र पढकर व्हाईस रेकार्डर काले रंगके धागेसे मेरे गले मे लटकाये और षर्ट के निचे ढक दिया। उसके बाद मेरे मोटार सायकलसे पंच क्र. 01 के साथ कोसारा रोड पडोली यहापर सत्यापण कार्यवाही के लिये भेजदिया। और सत्यापण के बिच मे पोलीस गणेष पोलीस स्टेषन पडोली, ईन्होने मुझे 10,000/- रू. जब मे फोन करूगा तब लेके आना ऐसा कहा। रिष्वत मांग सत्यापण कार्यवाही करके वापस आणे के बाद पंच क्र. 01 के आवाजमे प्रमाणपत्र का वाचन करनेके बाद व्हाँईस रेकाँर्डर बंद किया.।उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. निलेष सुरडकर साहेब इन्हाने पंच क्र. 01 व 02 इनके समक्ष व्हाँईस रेकाँर्डमे हुये संभाषणाकी टेप सुनकर पोलीस गणेष पोलीस स्टेषन पडोली इन्हांने षराब लाने का और बेचने का धंदा करणे के लिये और कोई कार्यवाही न करणे के लिये। 10,000/-रु. लाच रिष्वत माग कर जब मे फोन करूगा उस जगह पर तु पैसै लाके देना ऐसे ईषारे से कहकर रिष्वत कि रक्कम 10,000/- रु. लेने की सहमती दर्षाई ईसबात कि तसल्ली की.। उसके बाद पोलीस गणेष के फोन कि राह देखने के बारे मे बताकर फोन आने के बाद कारवाई करगे ऐसा बताया। उस दिन हमने षाम 06.00 बजेतक पोलीस गणेष के फोन की राह देखी लेकीन उसका फोन नही आया। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. निलेष सुरडकर साहेब इन्हाने पचनामा कार्यवाही की और मुझे घर जाने के लिये कहा और जैसे ही पोलीस गणेष का काँल आयेगा वैसे ही हमे बताना ऐसा कहा.।फिर दुसरे दिन दिनांक 07/09/2019 को दोपहर को 4.00बजे के करीब मुझे पोलीस गणेष का फोन आया पर मैने वह फोन उठाया नही और मै सिधा ऐसेबी के आँफीस मे साहाब से मिलने चला गया उसके बाद, फिरसे मुझे पोलीस गणेष का साहाब के सामने फोन आया था तब मैने उसेसे फोन पे बात कि उसने मुझे आधे एक घंटे मे चांदा कल्ब ग्राउड चंद्रपूर यहा के दर्गा के पास आणे के लिये कहा।उसके बाद पोलीस गणेष, पोलीस स्टेषन पडोली ईनके खिलाफ रिष्वत सापळा कार्यवाही करणे का आयोजन किया.। तब मुझे अँथ्रसिन पावडर लगाई हुवी रिष्वत कि 10,000 /- रक्कम मेरे फुलपन्ट के बाये जेब मे रख दिये। सापळा कारवाईके समय लि जाने वाले खबरदारी के बारेमे मुझे समझाया गया। लोकसेवक ईन्होने खुद या किसी अन्य व्यक्तीके माध्यमसे रिष्वत रक्कम लि तो सर कि टोपी निकालकर इषारा करणे को कहा। उस समय सापळा टिमके सदस्य इषारा मिलते ही रिष्वत रक्कम लेनेवाले को रंगेहाथ पकडेगे ऐसा समजाया।उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. निलेष सुरडकर साहेब ईनके कहनेपर नापोकाँ. संतोश येलपुलवार इन्होने व्हाँईस रेकाँर्डर सुरू करके व्हाँईस रेकाँर्डरवर पंच क्र. 01 इनके आवाजमे सापळा कार्यवाही के लिये जाने के बारेमे का प्रमाणपत्र पढकर व्हाईस रेकाँर्डर काले रंग धागेसे मेरे गले मे बांधकर षर्ट मे किसीको दिखेगा नही ईसतरह से झक दिया और मुझे मेरे मोटार सायकलसे पंच क्र. 01 के साथ चांदा कल्ब ग्राउड चंद्रपूर यहा के दर्गा के पास जाणे के लिये भेज दिया। सापळा टिम सदस्य मेरे पिछे पिछे अपनी अपनी मोटार सायकल से आये। उसके बाद मे और पंच क्र. 01 गणेष पोलीस ने बुलाये हुवे चांदा कल्ब ग्राउड चंद्रपूर यहा के दर्गा के पास जाने के बाद पोलीस गणेष, पोलीस स्टेषन पडोली उनके फोर व्हीलर गाडी के पास खडे थे वहा मे और पंच गये उस समय पोलीस गणेष ने 10,000/-रु. रिष्वत कि रक्कम मांग की।. अँथ्रसिन पावडर लगाई हुवी 10,000/- रु. रक्कम मेरे फुलपन्ट के बाये जेबमेसे निकालकर गणेष पोलीस, इनको दिये गणेष पोलीस ने बाये हाथसे रिष्वत रक्कम 10,000/- रु. लि और उन्होने बाये हातकी मुठठी मे हि रखा। उसके बाद मैने सापळा टिम को सर की टोपी दहीने हातसे निकालकर रिष्वत रक्कम लिये जाने का इषारा किया।. उसके बाद सापळा टिमने गणेष पोलीस को रंगेहात पकडकर आगे की कारवाई कि।. इसिलिऐ गणेष श्रीराम जोगदंड, पोलीस षिपाई, पोलीस स्टेषन पडोली इन्होने अपने पदका दुरूपयोग करके इन्होंने षराब लाने का और बेचने का धंदा करणे के लिये और कोई कार्यवाही न करणे के लिये मेरेसे 10,000/-रु. कि रिष्वत रक्कम पंचोके समक्ष मांगकर मेरेसे रिष्वत रक्कम 10,000/-रु. स्विकार की. इसलिये मेरी उनके विरूद्ध लाचलुचपत प्रतिबंध कायदे के नुसार कारवाही के लिये फिर्याद है।.मुझे पढना और लिखना नही आता है सिर्फ दस्तखत आती है,मैने बताऐ हुवे जबानी रीपोर्ट कम्पुटर पे टाईप करने के बाद यह फिर्याद मैन बताऐ मुताबिक सही लिखी गयी है। .

13.Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at**
(केलेली कारवाईः बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): PRAKASH GANPATRAO HAKE(I (Inspector)) / POBN59638 **or (किंवा)**

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):
Rank (पद):
No.(क्र.): **to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)**

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) Transferred to P.S.(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):
District (जिल्हा):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

Scanned by CamScanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

SARFAROJ

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

नि.उ.अ

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): PRAKASH GANPATRAO HAKE
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): POBN59638

PSI दीपक

Scanned by CamScanner